फर्द अहकाम
न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाड़ा
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 171/2022
नवलकुमार बनाम राधाकृष्ण

| तारीख हुक्म | आदेश | आदेश की पालना बाबत् रिपोर्ट |
|---|---|---|
| 04.11.2025 | परिवादी अनुपस्थित। परिवादी अधिवक्ता श्री दिनेश पारीक उपस्थित। अभियुक्त राधाकृष्ण अनु0। अभियुक्त राधाकृष्ण की ओर से अधिवक्ता श्री अंकुर कोठारी, जितेन्द्र शर्मा, कुमार गौरव सौनी व राजकुमार वर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। वकालतनामा शामिल पत्रावली रहे। अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे बाद सुनवाई केवल आज के लिये स्वीकार किया जाता है, प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे। बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्ष की गत पेशी पर सुनी गई। इस आदेश द्वारा अभियुक्त राधाकृष्ण डंगायच की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यंवहार की सूचना आयकर विभाग को भिजवाने एव सुसंगत दस्तावेज को तलब किये जाने हेतु दिनांकित 27.05.2025 का निस्तारण किया जा रहा है।<br><br>अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उक्त प्रकरण साक्ष्य परिवादी हेतु नियत है प्रार्थी परिवादी से जिरह करने हेतु तैयार है। परिवादी ने प्रार्थी के विरूद्व उक्त मामला 250000/-अक्षरे पच्चीस लाख रूपये के संव्यवहार के सबंध में पेश किया है जो संव्यवहार नकद रूपयों को लेकर है। मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने अनेकों प्रकरणों में नकद संव्यवहार एवं उसका इन्द्राज आयकर के दस्तावेजो में होने की विधिक आवश्यकता बल दिया है। मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने अपने नवीनतम प्रकरण दी कारस्पोडेन्स आर. बी.ए.एनएमएस बनाम बी गुनशेखर एवं अन्य सिविल अपील नम्बर 5200/25 दिनांक 16.04.2025 में दिये निर्णय के अनुसार अगर 200000/-रूपये या इससे अधिक किसी भी संव्यवहार का मामला पक्षकारो के बीच किसी न्यायालय में आता है तो इस नकद संव्यवहार की सूचना सबंधित अधिकारी के कार्यालय में दी जानी जरूरी है, ताकि आयकर | Ankur Kothari 4/11/25 (परि. अधि.) |

न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौथ का बरवाड़ा जिला स.मा. (राज.)

अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों की पालना हो सके इस निर्णय की प्रतिलिपि जो माननीय उच्चतम न्यायालय की वेबसाईट से ली गई है। उसका सुसंगत हिस्सा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि इस प्रकरण में 2500000/— रूपये नकद का संव्यवहार कथित किया गया है, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना में इस संव्यवहार की सूचना सबंधित आयकर कार्यालय में भिजवादी जावे ताकि इस नकद संव्यवहार का वेरिफिकेशन परिवादी द्वारा पेश सुसंगत आयकर दस्तावेजों से हो सके तथा इस सुसंगत दस्तावेज को न्यायालय में तलब भी कर लिया जावे।

अप्रार्थी/परिवादी नवल कुमार द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का जवाब इस आशय का पेश किया गया किं पच्चीस लाख रूपये संव्यवहार होना स्वीकार है क्योंकि उक्त राशि व्यापार हेतु दी गई थी। परिवादी किराने की दूकान करता है एवं मुलजिम गुड चीनी का व्यापारी है प्रार्थी परिवादी ने मुलजिम को व्यापार गुड चीनी खरीद करने हेतु रकम दी थी। परिवादी मुलजिम से अभी से संव्यवहार नही कर रहा था काफी समय से कर रहा है। परिवादी ने उक्त रकम दुकान में सामान लाने हेतु बैंक से ॠण लिया था उसी राशि को मुलजिम को सामान खरीदने हेतु दी थी, लेकिन मुलजिम ने सामान नही भेजकर चैक दे दिया उक्त चैक को बैंक में लगाने पर बाउन्स हो गया इसी पश्चात् परिवादी को जरिये मोबाईल सूचित किया लेकिन मुलजिम ने संतोषपूर्वक जवाब नही दिया। उसके पश्चात जरिये अधिवक्ता नोटिस दिलवाया गया है। मुलजिम द्वारा संतुष्टपूर्ण जवाब नही देने पर परिवाद न्यायालय में पेश किया गया। अंत में जवाब पेश कर अर्ज किया है कि मुलजिम का प्रार्थना पत्र हेवी कोस्ट पर खारिज फरमाया जावे। क्योंकि उक्त परिवाद में न्यायालय की कार्यवाही देरीना करना चाहता है।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने कथन किया

04.11.25
न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौथ का बरवाड़ा जिला स.मा. (राज.)

है कि 02 लाख रूपये या उस से अधिक के संव्यवहार की सूचना मान्नीय उच्चतम न्यायालय को निर्णय अनुसार आयकर विभाग को दी जाना आवश्यक है। परिवादी द्वारा 25 लाख रूपये अभियुक्त को दिया जाना परिवाद में वर्णित किया है। उक्त परिवाद 25 लाख के संव्यवहार से सबंधित है। इसलिए मान्नीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित के निर्णय की पालना में सम्बंधित आयकर विभाग को इस संव्यवहार के वेरिफिकेशन के लिये सूचना दी जावे एवं आवश्यक व सुसंगत दस्तावेज तलब किये जावे। उक्त निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है एवं आज्ञापक है। अंत में मान्नीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया– The Correspondence, RBANMS educational institution Vs. B. Gunashekar & Another Civil Appeal No. 5200 of 2025.

इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी/परिवादी ने कथन किये हैं कि परिवादी ने अभियुक्त को 25 लाख रूपये गुड चीनी खरीदने के लिये दिये थे। अभियुक्त गुड चीनी का व्यापारी है। अभियुक्त काफी समय से परिवादी से लेन–देन कर रहा है। परिवादी ने उक्त रकम दुकान के लिये सामान लाने हेतु बैंक से ऋण लिया था। अभियुक्त ने सामान नहीं भेजा बल्कि खुद का चैक दिया था। जो बैंक में लगाने पर बाउंड हो गया। जिसका नोटिस अभियुक्त को दिया गया। उसके बावजूद भी अभियुक्त द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया, ना ही उक्त रकम परिवादी को लौटाई गयी। अभियुक्त ने हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रकरण में देरी कारित करने के आशय से पेश किया है। अंत में अभियुक्त का प्रार्थना पत्र आधारहीन बताते हुये भारी हर्जे–खर्चे के साथ खारिज किये जाने का निवेदन किया। दौराने बहस परिवादी ने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया–

01- SANJABIJ TARI VS KISHORE S. BORCAR &ANR. Crim. Appeal no. 1755 of 2010

04.11.25
न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौथ का बरवाड़ा जिला स.मा. (राज.)

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से मुलजिम द्वारा परिवाद में अंकित कथनों के अनुसार राशि 25 लाख रूपये संव्यवहार की सूचना आयकर विभाग को भिजवाये जाने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि परिवादी ने अपने परिवाद में मुलजिम राधाकृष्ण द्वारा उधार लिये गये रूपयों के भुगतान पेटे चैक संख्या 000003 राशि 25 लाख रूपये दिनांक 22.07.2017 परिवादी के पक्ष में जारी किया जाना बताया है। उक्त प्रकरण अभी साक्ष्य परिवादी के स्तर पर नियत चल रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत The Correspendence, RBANMS educational institution Vs. B. Gunashekar & Another Civil Appeal No. 5200 of 2025 में यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि Whenever, a suit is filed with a claim that Rs. 2,00,000- and above is paid by cash towards any transaction, the courts must intimate the same to the jurisdictional Income Tax Department to verify the transaction and the violation, of section 269 ST of the income Tax act, if any.

उक्त न्यायिक दृष्टांत में जारी निर्देशों के अनुसार किसी भी सिविल वाद जिसमें क्लेम 2 लाख रूपये या उससे अधिक है वहां पर संबंधित न्यायालय को सक्षम आयकर विभाग को उक्त वाद की सूचना देनी होगी, परंतु हस्तगत प्रकरण चैक से संबंधित है एवं परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित हैं। जो एक विशेष विधि है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत में जारी निर्देश हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार हस्तगत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचनानुसार आधारहीन होने

04.11.25
न्यायिक मजिस्ट्रेट

से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। यदि परिवादी ने किसी तथ्य को आयकर विभाग से छिपाया है तो इस संबंध में अभियुक्त अपने स्तर पर सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं।

आदेश सुनाया गया।

आगामी तारीख पेशी पर परिवादी आवश्यक रूप से साक्ष्य हेतु उपस्थित रहे। अधिवक्ता अभियुक्त आवश्यक रूप से गवाह से जिरह पूर्ण करें। प्रकरण टारगेटेड हैं। पक्षकारान अनावश्यक स्थगन ना लेंवे। पक्षकारान प्रकरण के निस्तारण में न्यायालय का सहयोग करें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य परिवादी हेतु दिनांक 14.11.2025 को पेश हो।

04.11.25
न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौथ का बरवाड़ा जिला स.मा. (राज.)